न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 02/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि. पूर्व में (मेन्टोर इण्डिया लिमिटेड) पता– प्रधान कार्यालय मेन्टोर हाऊस, गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. सोहन लाल मोहनपुरिया पुत्र पेमा राम, निवासी– प्लॉट नम्बर 183, सुरेरा, वार्ड नम्बर 6, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर। ऋणी
2. मीरा देवी पत्नी सोहन लाल मोहनपुरिया, निवासी– प्लॉट नम्बर 183, सुरेरा, वार्ड नम्बर 6, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर। सहऋणी
3. अमर चन्द कुमावत पुत्र मदन लाल कुमावत, निवासी– प्लॉट नम्बर 50, अहीरों की ढ़ाणी, वार्ड नम्बर 3, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर। जमानतदार

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 15 फरवरी, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सूरज शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **सोहन लाल मोहनपुरिया, मीरा देवी, अमर चन्द कुमावत** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **अचल आवासीय सम्पति स्थित खसरा नम्बर 258/6, सम्परिवर्तित क्षैत्रफल 209.58 वर्गमीटर ग्राम सुरेरा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर में स्थित है जो मीरा देवी पत्नी सोहन लाल मोहनपुरिया के नाम पर है,** को बंधक रखकर **7,00,000/–रूपये** (अक्षरे रूपये **सात लाख** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **04.07..2018** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि दिनांक 04.02.2019 को 56000/– रूपये जमा करवा दिये हैं और बकाया किश्त भी जल्दी ही जमा करवा दूंगा। अतः आदेश जारी करने से पहले मुझे कुछ दिन की मौहल्लत दी जावे।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 04.07..2018 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी द्वारा नोटिस प्राप्ति के 60 दिवस में सम्बन्धित बैंकिग संस्थान में पुनः निर्धारण हेतु आवेदन किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **सोहन लाल मोहनपुरिया, मीरा देवी, अमर चन्द कुमावत** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **अचल आवासीय सम्पति स्थित खसरा नम्बर 258/6, सम्परिवर्तित क्षैत्रफल 209.58 वर्गमीटर ग्राम सुरेरा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर में स्थित है जो मीरा देवी पत्नी सोहन लाल मोहनपुरिया के नाम पर है,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक: 25 **फरवरी, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner